

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,  
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र(DMMC),  
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 16 अगस्त, 2018

विषय:- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मद से विभिन्न कार्यो हेतु धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-257/DMMC/XIV/18(2016-17) दिनांक 21.06.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से USDMA Website के (Design, Development and Maintenance of USDMA website, Bilingual (Hindi & English) Security Audit, Source Code, Training & User Manual. Including 03 years maintenance) के लिए रू0 3,94,500/-का बीजक भुगतान, + USDMA Logo Rs. 25,000.00+ Workshop/Seminar(IRS) Rs. 23,20,000.00 मर्दें सम्मिलित है, हेतु उपलब्ध कराये गये कुल धनराशि रू0 27,39,500.0(रू0 सताईस लाख उन्तालिस हजार पाँच सौ मात्र) के प्रस्ताव को एस0डी0एम0ए0 मद से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धनराशि रू0 27,39,500.0 (रू0 सताईस लाख उन्तालिस हजार पाँच सौ मात्र) आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मद में उपलब्ध बजट व्यवस्था से आपके निर्वर्तन पर रखते हुए एक मुश्त आहरित कर नियमानुसार व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (2) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा डी0एम0एम0सी0 द्वारा ही रखा जायेगा व उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
- (3) धनराशि का स्वीकृत मर्दों से भिन्न मर्दों में अथवा गलत उपयोग होने पर अधिशाली निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (4) प्रशिक्षण कार्यक्रम के फोटोग्राफ एवं वीडियोज आदि भी संरक्षित किये जायेंगे तथा किये गये कार्य की रिपोर्ट तैयार कर शासन के अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।
- (5) प्रशिक्षित कार्मिकों, समूहों/व्यक्तियों का पूर्ण विवरण संकलित करते हुए वेबसाइट पर भी संरक्षित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार इसका उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) व्यय करते समय प्रोक्योरमेंट रूल्स, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्ययता विषयक शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय की यथासमय सम्परीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.03.2019 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-समान्य-102-विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजना का प्रबन्ध-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-02-आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण-42-अन्य व्यय-मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.पत्र. संख्या-117 /XXVII(5)/2018-19, दिनांक 09 अगस्त, 2018 में दी गई सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या- (1)/XVIII-(2)/18-15(36)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
- 3- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर, ट्रेजरी, देहरादून।
- 6- निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 7- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सविन बंसल)  
अपर सचिव